



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1990 (आषाढ़ 9, 1912)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1990 (ASADHA 9, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1-- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 478	भाग II--खण्ड--3-- उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के द्वितीय अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *
भाग I--खण्ड 2-- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 763	भाग II--खण्ड 4-- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *
भाग I--खण्ड 3-- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं --	भाग III--खण्ड 1-- उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 687
भाग I--खण्ड 4-- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1021	भाग III--खण्ड 2-- पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस 677
भाग II--खण्ड 1-- अधिनियम, अध्यादेश और विधियम	भाग III--खण्ड 3-- मृत्यु आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन खण्ड 3 द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *
भाग II--खण्ड 1--क-- अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का द्वितीय भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III--खण्ड 4-- विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1981
भाग II--खण्ड 2-- विधायक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 85
भाग II--खण्ड 3-- उप-खण्ड (1) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *	भाग V--प्रप्रेजी और द्वितीय दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निम्नाने वाला अनुपूरक *
भाग II--खण्ड 3-- उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *	

*वीकेंडे प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE	PAGE	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	479	PART II—SECTION 3—SUB-SEC (III)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	•
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	763	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	•
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	667
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1021	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to patents and Designs	677
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	•
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1981
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	•	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	85
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	•
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (II)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•		

भाग I—खण्ड 1

[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issue by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1990

सं. 10/2/90-के.रं. (2)--कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1990 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड-ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" के लिए प्रवर सूचियों में सम्मिलित करने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशन किये जाते हैं।

2. प्रवर सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञापित में बता दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा-संशोधित (संविधान) जम्मू और कश्मीर (अनुसूचित जाति) आदेश, 1956; संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959; (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा-संशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 संविधान (पॉन्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; संविधान (अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967; संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970; संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम)

अनुसूचित जनजाति आदेश; 1978; संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ही ली जायेगी।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. पात्रता की शर्तें—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का श्रेणी "घ" या श्रेणी-3 का नियमित रूप में नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-3 के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड-2 की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के आशुलिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे।

(क) सेवा की अवधि—इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-3 में निर्णायक तारीख अर्थात् 1-8-90 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुसूचित और निरन्तर सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी :—ग्रेड-घ के वे अधिकारी जो मध्यम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्त पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-3 में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग की श्रेणी-3/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी में "घ" प्रतियोगितात्मक

परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए और उस श्रेणी में उसकी कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिए।

(ख) आयु—उसकी आयु पहली अगस्त, 1990 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् वह 2 अगस्त, 1940 से पहले पैदा नहीं हुआ हो।

(ग) उपरलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होंगी—

- (1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।
- (2) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रवृत्त हुआ हो, तो अधिकतम 3 वर्ष तक।
- (3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रवृत्त हुआ हो, तो अधिकतम 8 वर्ष तक।
- (4) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवृत्त हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।
- (5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवृत्त हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।
- (6) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक।
- (7) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक।
- (8) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक।

- (9) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जायेगी।

(घ) आशुलिपिक परीक्षा—अब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतकर्ता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के सर्जन/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-3 में स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिए आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उसमें पूर्व वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए।

टिप्पणी :—ग्रेड-घ या ग्रेड-3 के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य-पदों पर प्रतिनियुक्त पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड या ग्रेड-3 में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, वे परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड-घ/ग्रेड-3 में उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानांतरित रूप में संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गये हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतकर्ता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के सर्जन/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-3 में धारणाधिकार न रखने हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

- (1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (2) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा
- (3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा
- (4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
- (5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
- (6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (7) परीक्षा भवन में अज्ञात दूरी के अपनायें हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(9) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अव्यभिचित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग क्रिमिनल प्राक्कियूशन चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से वारिष्ठ किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्य-वाही की जा सकती है ।

8 परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अन्तिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से पांच अलग सूचियां बनाई जाएगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त सम्झेगा, उनके नाम अपेक्षित मर्यादा तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक के सर्जन में और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करेगा ।

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के सर्जन सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय, आशुलिपिक सेवा में आरक्षण रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियों न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के द्वारा आरक्षित क्वॉटों में कमी को पूरा करने के लिए मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है। चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई भी रैंक क्यों न हो, बशर्त कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के सर्जन सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए योग्य हों ।

टिप्पणी.—उम्मीदवार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन), इन परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के सर्जन के ग्रेड-ग/ग्रेड-2 सशस्त्र सेना मुख्यालय

आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जायें ।

9. हर एक उम्मीदवार के परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

10 परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी एग्मी छानबीन के बाद जो आवश्यक समझी जाये, संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा के अपने चरित्र के विचार से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है ।

11 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के सर्जन/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा जो या उसमें अपना सबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएँ उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों, या किसी निःसवर्गीय पद या घूमरी सेवा में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के सर्जन के ग्रेड-3 या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ में धारणाधिकारी न हों, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । तथापि वह ग्रेड-घ/ग्रेड-3 के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के किसी निःसवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो ।

डा. रवीन्द्र सिंह
अवर सचिव

परिशिष्ट

लिखित परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होगा :—

भाग-क-लिखित परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक	समय
प्रश्न पत्र 1 : वस्तुनिष्ठ प्रकार		
(क) सामान्य ज्ञान		
100 प्रश्न	200	2 घन्टे
(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा योग्यता 100 प्रश्न		

टिप्पणी :—सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छाये जाएंगे ।

भाग-ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए)

200 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन से लिपयंत्रित करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी मशीन लानी होगी ।

भाग-ग—एसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किये जायें, अधिकतम 100 अंक ।

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिये गये के अनुसार होगी ।

3. लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी की आशुलिपिक परीक्षा देने होगी जो कि अधिकतम 200 अंकों की होगी ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के कालम 6 में आशुलिपि परीक्षा देने के लिए अपना माध्यम अवश्य लिखना चाहिए । एक बार चुना गया विकल्प अंतिम समझा जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन का कोई अनुरोध सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । यदि किसी उम्मीदवार द्वारा विकल्प देने का अपेक्षित कालम खाली छोड़ दिया जाता है तो आशुलिपिक परीक्षण के लिए उसका माध्यम अंग्रेजी समझा जाएगा ।

टिप्पणी : 2—एसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपिक की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप में लिखनी पड़ेगी ।

टिप्पणी : 3—उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जायेगी ।

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे । प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवृत्ता अनुसार रखा जायेगा । [निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें] ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा ।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किये नये न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण

(भाग-क)

टिप्पणी :—भाग "क" के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की "मैट्रिकुलेशन" परीक्षा का होता है ।

प्रश्न पत्र-1 (क) सामान्य जानकारी—प्रश्न उम्मीदवार के आस-पास के पर्यावरण के प्रति उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति उनके अनुप्रयोग के संबंध में उम्मीदवार को योग्यता की जांच करने के लिए पूछे जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के ऐसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में भी ज्ञान की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी जानकारी की अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है । इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे ।

(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता—इस परीक्षा में अंग्रेजी, भाषा शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्य पूर्य करना, वाक्यांश तथा शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि के संबंध में उम्मीदवार के विवेक तथा ज्ञान को आंकने के लिए प्रश्न पत्र तैयार किये जायेंगे । इसमें अनुच्छेद परिज्ञान पर भी प्रश्न होंगे ।

भाग-ख

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवार को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिख्यंतर करनी होगी ।

हिन्दी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिख्यंतर करनी होगी ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1990

संकल्प

सं० एन० 11014/2/90-टी० प्रो०—इस मंत्रालय के दिनांक 7-10-88 के संकल्प सं० एन० 11014/11/88-टी० प्रो० और दिनांक 17-7-1989 के एन० 11014/23/88-टी० प्रो० का अतिक्रमण करते हुए अब दो समितियों अर्थात् तकनीकी मामलों पर स्थायी समिति और तकनीकी मामलों पर विशेषज्ञ समिति को मिलाकर एक एकल समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जो तकनीकी मामलों पर विशेषज्ञ समिति कहलाएगी। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे:—

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अध्यक्ष
2. उपायुक्त (टी० प्रो०), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली। सदस्य
3. अधीक्षक निदेशक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली। सदस्य
4. डा० बी० एन० सक्सेना, वरिष्ठ महा उपनिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। सदस्य
5. प्रोफेसर एच० एच० साइमन, जनन और आयुर्विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, मुंबई, नई दिल्ली। सदस्य
6. प्रोफेसर कमल बच्चो, अध्यक्ष, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। सदस्य
7. प्रोफेसर जी० आर्डी० डल, अध्यक्ष, प्रसूति और स्त्री रोग, विज्ञान विभाग, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़। सदस्य
8. महानिदेशक, भारतीय मानक कार्यालय, मानक भवन, महापुराहा जफर मार्ग, नई दिल्ली। सदस्य
9. प्रोफेसर एस० के० गुहा, अध्यक्ष, वायो-मैडिकल इंजीनियरिंग सेंटर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली। सदस्य
10. परिवार कल्याण निदेशक, उड़ीसा, भुवनेश्वर। सदस्य
11. डॉ० यू० के० नन्दा, एस० सी० बी० मेडिकल कॉलेज, कटक, उड़ीसा। सदस्य
12. प्रोफेसर जे० एन० नरोसे, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज पटना, बिहार। सदस्य

13. प्रोफेसर (श्रीमती) ए० सुखर्षी, अध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग, एम० जी० एम० मेडिकल कॉलेज, इन्दौर, मध्य प्रदेश। सदस्य
14. स्वास्थ्य सेवा निदेशक, राष्ट्रिय बिल्डिंग, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। सदस्य
15. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान, जयपुर। सदस्य
16. डा० (श्रीमती) बी० चड्ढा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग, कस्तूरबा अस्पताल, दरियागंज, नई दिल्ली। सदस्य
17. डा० (श्रीमती) चन्द्रवती, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग, के० जी० मेडिकल कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सदस्य
18. डा० एस० एन० सुखर्षी, सी/11/35, डा० जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली। सदस्य
19. प्रोफेसर सी एस० डान, नेशनल एसोसिएशन आफ वालेंटरी स्टेरिलाइजेशन आफ इंडिया, 25 बी० सी० आर्डी० टी० रोड, कलकत्ता। सदस्य
20. प्रोफेसर बी० जे० वाडिया, पटेल चैम्बर (फ्लैट बिल्डिंग), कला महर्षि हल्लामकर पुल, धोबेरा सिनेमा जंक्शन, बम्बई-400007। सदस्य
21. सहायक आयुक्त (टी० प्रो०), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली। सदस्य सचिव

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

1. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशासनिक संगठनात्मक और तकनीकी मामलों, विशेषतः से आई० यू० बी०, नसबन्दी क्रियाविधियाँ, चिकित्सीय रूप से गर्भ समापन और मुख से गर्भ निरोधन तथा गर्भ निरोधन की कोई अन्य विधिक संदर्भ से सभी मामलों पर विचार करना और भारत सरकार को सलाह देना।

2. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त के लिए चिकित्सीय गर्भ समापन के लिए विभिन्न द्रव्य रिंगों, आई० यू० बी०, सम्बन्धित एस्पिरेटों और लैपरोस्कोपों के बाँडों इत्यादि के कार्यकरण के कारणों प्रभाव कारिता की समीक्षा करना।

3. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त के लिए चिकित्सीय रूप से गर्भ समापन के लिए द्रव्य रिंगों, आई० यू० बी०, सम्बन्धित एस्पिरेटों और लैपरोस्कोपों की गुणवत्ता नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देना।

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, होजबास, नई दिल्ली में विकसित किए जा रहे आई० यू० बी०/द्रव्य रिंगों इत्यादि के परीक्षण के विनिर्देशनों और मानकों में संशोधनों का सुझाव देना; और

5. गर्भ निरोधक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई अन्य महत्वपूर्ण सब के बारे में विचार विमर्श करना।

3. इस समिति के पाम अपनी बैठकों में बुलाने के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण के विभिन्न पहुलुओं से संबंधित विषयों को सह-योजित/आमंत्रित करने की शक्ति होगी।

4. इस समिति का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि का होगा।

5. इस समिति के सरकारी सदस्य समिति की बैठकों के संबंध में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते उन नियमों के अनुसार प्राप्त करेंगे जिनके अन्तर्गत वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को अनुपूरक नियम 190 के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों, जैसा कि मूल नियम और अनुपूरक नियम (भाग-I और-II) की स्वामी के संकलन के परिशिष्ट 10 में अस्तित्वित है, के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

6. इस पर होने वाले व्यय को मांग संख्या 41-परिवार कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष 2211-बी० निर्देशन और प्रशासन-बी 1(1) मुख्यालय में तकनीकी विंग-बी 1(1)(3) यात्रा व्यय-1990-91 के अन्तर्गत मंजूरशुदा बजट अनुदान के भीतर बहन किया जायेगा।

आवेश

आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० एस० कपूर, निवेशक (निति)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1990

(27)

सं० एक०-18-15/86-टी-7/टी-13/टी० डी०-1/(.)—शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने सैन्ट्रल टूल कम, सुधियाना के छात्रों की राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पंजाब द्वारा प्रदान किए जाने वाला टूल और डाई निर्माण प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय डिप्लोमा को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं में रोजगार के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया है। यह 1985 से लागू होगा।

(28)

एक० सं० 1-15/89-टी-13/टी० डी०-1/(.)—शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने टी० ए० पाई प्रबन्ध संस्थान, मनिपाल द्वारा आयोजित प्रबन्ध में दो वर्षीय पूर्ण-कालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत उन बरिष्ठ पदों तथा सेवाओं

के लिए मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है जहां चर्ची के लिए प्रबन्ध में मास्टर्स, कार्यन्वयन निर्धारित अर्हता है। यह मान्यता वर्ष 1986 से प्रभावी होगी।

(29)

सं० एक०-18-1/89-टी० डी०-1—शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर भारत सरकार ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर द्वारा निम्नलिखित विषयों में प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमाओं को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं के लिए मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

- (i) कृषि इंजीनियरी
- (ii) सिविल इंजीनियरी
- (iii) संगणक विज्ञान
- (iv) इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी
- (v) विद्युत इंजीनियरी
- (vi) मैकेनिकल इंजीनियरी
- (vii) वन-विद्या

एम० एम० चौधरी, सहायक शिक्षा सलाहकार (टी०)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 1990

सं० यू०-24012/1/90-आर० डब्ल्यू०—भारत के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या यू-24012/1/87-आर० डब्ल्यू० दिनांक 11 अगस्त, 1987 द्वारा गठित और क्रमशः 20 अगस्त, 1987 एवं 3 नवम्बर, 1987 के शुद्धि पत्रों द्वारा परिशोधित प्राचीन श्रमिकों के राष्ट्रीय आयोग को निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता है:—

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. डा० सी० एच० हनुमन्त राव | अध्यक्ष |
| 2. श्री एच० हनुमन्तप्पा, संसद सदस्य | सदस्य |
| 3. श्री गुरुदास दासगुप्ता, संसद सदस्य | सदस्य |
| 4. श्री पी० के० कुम्हारचन, संसद सदस्य | सदस्य |
| 5. डा० प्रधान एच० प्रसाद | सदस्य |
| 6. प्रो० पी० सी० जोशी | सदस्य |
| 7. श्री एस० डी० कृष्णन | सदस्य |
| 8. श्री जी० अरवधनारायण | सदस्य सचिव |
2. अन्य प्रतिबन्धों व शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आवेश

1. आवेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

2. यह भी आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं को भेजी जाए।

श्री. पी. साहनी, सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RULES

New Delhi, the 30th June 1990

No. 10/2/90-CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade 'C' of the Central Vigilance Commission Stenographers Service, Grade II of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service and Gr. 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service to be held by the Staff Selection Commission in 1990 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard.

Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Naagr Taveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) Uttar Pradesh Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Commission.

4. Conditions of eligibility :—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade 'D' or Grade III of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade 'C' of the Central Vigilance Commission Stenographers Service, Grade II of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B), Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only that is Grade 'D' Stenographers of the Central Secretariat Stenographers service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Service, Grade 'D' Stenographers of Central Vigilance Commission Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Central Vigilance Commission, Grade III Stenographers of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for the vacancies in Grade II of the Stenographers of the Cadre of the Indian Foreign Service (B) the Grade 'D' Stenographers of Armed Forces Headquarters Stenographers Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service and the Grade 'D' of the Stenographers of the Railway Board Secretariat Stenographers Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service.

(a) Length of Service :—He should have on the critical date that is on 1-8-1990 rendered not less than 3 years approved and continuous service in Grade D or Grade III of the Service.

NOTE:—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre post with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers Service/Central Vigilance Commission Stenographers Service/Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade 'D' of the Central Vigilance Commission Stenographers Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Grade III of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Grade D of the Railway Board Secretariat Stenographers Service on the results of the competitive examination, including a limited departmental competitive examination result of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years approved and continuous service in the Grade.

(b) Age :—He should not be more than 50 years of age on 1-8-1990 i.e. he must not have been born earlier than 2-8-1940.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

- (i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (vi) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;
- (vii) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;
- (viii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;
- (ix) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) Stenography Test :—Unless exempted from passing the Commission Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central

Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service, he should have passed the Test on or before the date of notification of the examination.

NOTE.—Grade D or Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means in the examination hall, or
- (viii) misbehaving in the examination hall, or
- (ix) attempting to commit or, as the case may be abet, the Commission of all or of any of the acts specified in the foregoing clauses.

may be in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period :—
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
- (c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in five separate lists, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select Lists of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Central Vigilance Commission Stenographers' Service, Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service upto the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers'

Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in Select Lists or Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service Stenographers' sub-cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE:—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respect for selection.

11. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service or Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' (Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

Dr. RAVENDRA SINGH,
Under Secy.

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Maximum marks	Time
PAPER: (objective type)		
(a) General Awareness 100 questions		
(b) Comprehension and writing ability of English Language 100 questions.	200	2 hours

NOTE:—Question relating to General Awareness will be set both in Hindi and English.

PART B:—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST) 200 MARKS

NOTE:—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

PART C:—EVALUATION OF RECORD OF SERVICE OF SUCH OF THE CANDIDATES AS MAY BE DECIDED BY THE COMMISSION IN THEIR DISCRETION CARRYING A MAXIMUM OF 100 MARKS.

2. The syllabus for the written Test and the scheme of the Shorthand Test will be as shown in the Scheduled to this Appendix.

3. Candidates qualified in the written Examination are required to appear in Shorthand Test either in English or in Hindi which will be of 200 marks.

Note 1 :—Candidates must indicate their medium for taking Stenography Test in column 6 of the application form. The option once exercised shall be treated as final and no requests for alteration in the said column shall be ordinarily entertained. If the requisite column of option is left blank by any candidate, his/her medium of Stenography test shall be deemed to 'English'.

Note 2 :—Candidates who opt to take the shorthand test in Hindi will be required to learn English Stenography, and vice versa after their appointment.

Note 3 :—No credit will be given for shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, person in each group being arranged inter se in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answer for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the commission in their discretion will be called for shorthand test.

SCHEDULE

PART-A

Standard and Syllabus of the Written Test

NOTE:—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

(a) General Awareness : Question will be aimed at testing the candidates general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its Culture, Geography, Economics, Science, General polity and scientific research.

(b) Comprehension and Writing Ability of English Language : Question will be designed to test the candidate's understanding and knowledge of English language, vocabulary, spellings, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms,

sentence completion, phrases and idiomatic words etc. There will be a question on comprehension passage.

PART-B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand test in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand test in Hindi, will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th May 1990

RESOLUTION

No. N. 11014/2/90-To.—In Supersession of this Ministry's Resolution No. N. 11014/11/88-TO dated 7-10-88 and No. N. 11014/23/88-TO dated 17-7-89, it has now been decided to amalgamate the two committees viz., Standing Committee on Technical Matters and Expert Committee on Technical Matters and to reconstitute it as a single committee to be known as Expert Committee on Technical Matters. The membership of this committee will be as under :

Chairman

1. Director General of Health Services

Members

2. Deputy Commissioner (TO), Ministry of Health and Family Welfare, Deptt. of Family Welfare, New Delhi.
3. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services, New Delhi.
4. Dr. B. N. Saxena, Senior Deputy Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi.
5. Prof. H. H. Simon, Deptt. of Re-productive Biomedicine, National Institute of Health & Family Welfare, Munirka, New Delhi.
6. Prof. Kamal Buckshee, Head, Deptt. of Obst. & Gynaecology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
7. Prof. G. I. Dhall, Head, Deptt. of Obst. & Gynaecology, Post-graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh.
8. The Director General, Bureau of Indian Standards Manak Bhavan, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
9. Prof. S. K. Guha, Head, Centre of Bio-medical Engineering, Indian Institute of Technology, New Delhi.
10. The Director of Family Welfare, Orissa, Bhubaneswar.
11. Dr. U. K. Nanda, SCB Medical College, Cuttack, Orissa.
12. Prof. J. N. Narone, Deptt. of Obst. & Gynaecology, Nalanda Medical College, Patna, Bihar.
13. Prof. (Mrs.) A. Mukherjee, Head, Deptt. of Obst. and Gynaecology, MGM Medical College, Indore, Madhya Pradesh.
14. The Director of Health Services, Writers Building, Calcutta, West Bengal.
15. The Director of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

16. Dr. (Mrs.) B Chadha, Deptt. of Obst. & Gynaecology, Kasturba Hospital, Daryaganj, New Delhi.
17. Dr. (Mrs.) Chandravati, Deptt. of Obst. & Gynaecology, KG Medical College, Luknow, Uttar Pradesh.
18. Dr. S. N. Mukherjee, C-II/35, Dr. Zakir Hussain Marg, New Delhi.
19. Prof. C. S Dawn, National Association of Voluntary Sterilisation of India, 25 B CIT Road, Calcutta.
20. Prof. B. J. Wadia, Patel Chambers (French Bridge) Kala Maharshi Haldamkarpul, Opera Cinema Junction, Bombay-400 007.

Member-Secretary

21. Assistant Commissioner (TO), Ministry of Health & Family Welfare, Deptt. of Family Welfare, New Delhi.

2. The terms of reference of this Committee shall be :

- (i) To consider and advise the Government of India in all matters including administrative, organisational and technical connected with the implementation of the National Family Welfare Programme with Particular reference to IUDs, sterilisation procedures, MTP, and oral contraceptive and any other method of contraception.
- (ii) To review the efficacy and effectiveness of the working of various tubal rings, IUDs, suction aspirators for MTP, and brands of laparoscopes etc., for their use under National Family Welfare Programme ;
- (iii) To advise on the various aspects of the quality control of tubal rings, IUDs, suction aspirators for MTP and laparoscopes to be used under National Family Welfare Programme.
- (iv) To suggest modifications in the specifications and standards in respect of the testing of IUDs/tubal rings etc., being developed at IIT, Hauz Khas, New Delhi ; and
- (v) To discuss any other item of importance in the field of contraceptive technology.

3. The committee shall have power to co-opt/invite experts connected with various aspects of the National Family Welfare Programme to attend its meetings.

4. The life of the Committee shall be three years from the date of issue of the Resolution.

5. The official members of the Committee will draw TA/DA in connection with meetings of the Committee according to rules by which they draw their salaries. TA/DA to non-official members will be regulated according to the provisions of SR 190 and orders issued thereunder as contained in Appendix 10 of the Swamy's Compilation of FR and SR (Pt. I & II).

6. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under Demand No. 41—Deptt. of Family Welfare—Major Head-2211-B. 1—Direction and Adm.—B. 1(1)—Technical Wing at Headquarters—B. 1 (1) (3)—Travel Expenses—1990-91.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. S. KAPUR
Director (Policy)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 31st May 1990

F. No. 18-15/86 T-7/1-13/TD-V.—On the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the four year Diploma in Tool and Die Making Technology awarded by the State Board of Technical Education, Punjab to the students of the Central Tool Room, Indhiana, for the purposes of employment to subordinate posts and services under the Central Government. This will be effective from 1985.

F. No. 1-15/89 T-13/TD-V(.)—On the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the two year full time Post-graduate diploma in Management being conducted by T.A. Pai Management Institute, Manipal for the purpose of appointment to superior posts and services under the Central Government where a Master's Programme in Management is the prescribed qualification for recruitment. This recognition will be effective from the year 1986.

No. F.18-1/89 TD-V.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the diploma in the following fields offered by North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for the purposes of employment to sub-ordinate posts and services under the Central Government.

- (i) Agricultural Engineering
- (ii) Civil Engineering
- (iii) Computer Science
- (iv) Electronics Engineering
- (v) Electrical Engineering
- (vi) Mechanical Engineering
- (vii) Forestry.

M. M. CHOUDHURY,
Asstt. Educational Adviser (U)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th June 1990

RESOLUTION

No. U-24012/1/90-RW.—The National Commission on Rural Labour constituted vide Ministry of Labour Resolution No. U. 24012/1/87-RW, Dated 11th August, 1987, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, and Corrigenda of the same number, dated 20th August, 1987 and 3rd November, 1987, respectively, in hereby reconstituted as follows :—

Chairman

1. Dr C. H. Hanumantha Rao

Members

2. Shri H. Hanumanthappa, M. P.
3. Shri Gurudas Das Gupta, M.P.
4. Shri P. K. Kunjachen, M.P.
5. Dr. Pradhan H. Prasad
6. Prof. P. C. Joshi
7. Shri S. V. Krishnan

Member-Secretary

1. Shri G. Asvathanayan

2. The other terms and conditions shall remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part-I, Section-I.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

V. P. SAWHNEY,
Secy.